संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टीसी

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 नवम्बर, 2014

विषयः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान में महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारम्भ किये जाने हेतु राज्य सरकार को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 यथासंशोधित की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन पूर्वानुमति दिये जाने की व्यवस्था थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के प्रस्तावों का आगामी सत्र 2014-15 से समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2- 2013-16(165)/2012 टी.सी. दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा समय सारणी निर्धारित की गयी है।

2- उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम- 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा अधिनियम की उपधारा(10) के पश्चात उपधारा (11) बढ़ा दी गयी है। उक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप अब सम्बद्धता के प्रस्तावों का निस्तारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना है तथा अपील शासन स्तर से निस्तारित की जानी है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1963/सत्तर 2-2013-16(165)/2012टी.सी. दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने एवं शासन द्वारा सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रस्तावों पर विचार किये

जाने हेतु उक्त समय सारणी में दी गयी व्यवस्था को समाप्त करते हुए अनापत्ति एवं सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय सारणी निर्धारित की जाती है:-

क्र0	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय-सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
		प्रथम चक्र	अन्तिम चक्र
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 30 जून तक। (1) 30 जून तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/ सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।	दिनांक 31 दिसम्बर तक। (1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे। प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 अगस्त तक (1) खतौनी का सत्यापन आन-लाइन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हो अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।	दिनांक 15 फरवरी तक प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	अनापत्ति आदेश निर्गत किया जाना	दिनांक 31 अगस्त तक।	दिनांक 28/29 फरवरी तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 सितम्बर तक। (1) अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 सितम्बर तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।	दिनांक 20 मार्च तक। (1)अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा

		(2)पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार-बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	(2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 अक्टूबर तक। (1)प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2)निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3)समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	दिनांक 15 अप्रैल तक। प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 नवम्बर तक।	दिनांक 30 मई तक।
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 दिसम्बर तक।	दिनांक 15 जून तक।
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जनवरी तक।	दिनांक 15 जुलाई तक।

3- कृपया उक्त समय-सारिणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 710 (1)/सत्तर-2-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
5- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिराभवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6- वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग।
7- उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार शुक्ल)
उप सचिव।